

तहसीलदार महवा

रामचन्द्र, रामजीलाल, सरपंच भगवत  
रेहम वेवा भगवत जाति-सनी

अखबार

336

पृ. 18

धारा 91 2R A4

19-2-18

हुकम या कार्रवाई का इतिहास

कचरा व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तारीख  
में जारी हुए

पटवारी हल्ला की रिपोर्ट दर्ज कर अतिक्रमी  
को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की  
धारा 91 का नोटिस जारी कर फतावली दिनांक  
28.2.18 को पेश है।

तहसीलदार  
महवा (वेवा)

28/2/18

आज फतावली पेश हुई। आज लगवाड़े  
गठ अतिक्रमी उपस्थित आये हैं। आज श्री  
मान पीठसीम अधिकारी अवकाश पर  
हैं फतावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक  
08/03/2018 को पेश है।

श. नि. लखचन्द  
रामजीलाल

08/03/2018

फतावली पेश हुई। आज लगवाड़े गठ  
अतिक्रमी उपस्थित आये हैं। अतिक्रमियों  
द्वारा अतिक्रमण किया जमा स्वीकार किया गया  
है। अतः गठ पीठलिया वालजी की अतिक्रमण  
श्रीम से अतिक्रमी को शौतिक रूप से  
बंद करवा ल किया जाता है, विस्तृत निबंध  
पृथक से लिखा जाकर संलग्न फतावली है।  
विस्तृत निबंध पृथक से नहीं लिखा गया है।  
अडर बीट में ही लिखा गया है। आज यह  
फतावली पानुनाम महवा हमारे समक्ष पेश  
हुई। पटवारी हल्ला की रिपोर्ट है कि अतः  
श्री रामचन्द्र, रामजीलाल, सरपंच पुत्र  
भगवत तथा रेहम वेवा भगवत जाति सनी  
सनी श्री पीठलिया वालजी ने गठ पीठलिया

रामचन्द्र निरानी  
रामजीलाल निरानी  
सरपंच

08/03/18

संवत् 2074 मे गेहूँ ~~सबसे~~ कर अधिकतम ~~विना~~  
है अधिकतम उपस्थित ~~न~~ है। अधिकतम  
किया जाना ~~स्वीकार~~ किया गया है। अधिकतम  
द्वारा उक्त जवाब मे उपरोक्त द्वारा अपन  
क्याव मे ~~सबसे~~ गणह ~~अपूर~~ प्रस्तुत नही किया गये  
है। मुताबिक ~~रिपोर्ट~~ परिवारी अधिकतम की प्रति ~~दी~~ है  
प्रकरण नियमन योग्य नही है। अधिकतम देवी है।

अतः आदेश है कि अपाथी को अधिकतम  
आरजी खंभ 838 ~~दिया~~ 0.04 + 0.01 भूमि  
किस्म गेहूँ रास्ता वाले ग्राम पीतलिया कालजी  
से ~~वेधवल~~ किया जाता है तथा अपाथी को अधिकतम  
भूमि के वार्षिक लगान का 2.20 का 50 गुना 11000  
शास्त्र से ~~दोस्त~~ किया जाता है। तथा अपाथी को  
अधिकतम भूमि के वार्षिक लगान का 2.20 का  
इस पर खड़ी फसल वेधे, मरसा को निलाम  
निकल जाने के आदेश दिये जाते है भू अधिकतम निरीक्षण  
व परिवारी को अपाथी को खड़ी फसल को  
निलाम करने तथा ~~भूमि~~ रूप से वेधवल  
करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के  
आदेश जारी है। तद्वतिल एजन्स वेधवाकार  
व परिवारी को मांग काथमी बसुली हेतु  
लिया जावे। फतावली फंसल शुमार है।  
नम्बर से कम है।

निवेद्य खुले न्यायालय मे सुनया गया।

तहसीलदार  
तहसील-महवा (दीसा)

रजिस्टर ग/ध के पेज नं० 65.....पर  
वर्ष 2017-18 को पंजरी/पंजरी निलामी  
की शर्त तावदी ~~न~~ 11000/.....  
की जमा काथमी ~~न~~ ~~न~~  
दिनांक 21/3/18 तहसील ~~न~~ लेखाकार  
तहसील-महवा

**हस्त लिखित/नायब तहसीलदार तहसील महवा**

दिनांक 19/2/18

भू. रा. अधि. 1956 राजकीय भूमियों पर प्रथम बार अतिचार करने वाला।

प्रकरण सं 336/18  
पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार आपने राजकीय सिर्वायचक/चरागाह  
रकबा 0.05 वाके ग्राम पीतलिया वाला में इस वर्ष 2014

ने अतिचार कर जिन्स काश्त की हैं। उक्त अतिक्रमण धारा 91 भू. रा. अधि. 1956 के तहत  
के भू-राजस्व की 50 गुणा शास्ती एवं फसल जप्ती तक के निर्णय से दण्डित  
कर सकते हैं। अतः जरिये नोटिस आपको इत्तला दी जाती है कि दिनांक 28/2/18 तक उक्त राजकीय  
को न्यायालय में उपरिथत होकर  
कर दिया जावेगा।

आज दिनांक 19/2/18 को यह नोटिस मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुद्रा से जारी किया

Handwritten signature

**तहसीलदार**  
**तहसील-महवा (दीसा)**  
तहसीलदार  
महवा (जिला-दौसा) राज.